चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय,जीन्द

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय **के कुछ रद्दी सामान जैसे** लोहा, **एल्युमीनियम, स्टील, पुरानी उत्तरपुस्तिकाएं, कागज़, गत्ता आदि** की खुली बोली दिनांक 20.01.2026 को 11:30 बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। नीलामी के नियम व शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.crsu.ac.in पर देखी जा सकती है।

कुलसचिव

नीलामी के नियम व शर्ते

1. नीलामी जैसा सामान है, जहां है के आधार पर होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को 50000 रूपए मात्र धरोहर राशि के रूप में बोली आरंभ होने से पहले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट **Registrar, Chaudhary Ranbir Singh University, Jind** के पक्ष में बनवाना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाताओं को उसी समय वापिस कर दिया जाएगा और सफल बोलीदाता की धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी।
3. सामान की नीलामी वास्तविक वजन के आधार पर धर्म कांटा/वजनी मशीन के आधार पर होगी। इस पर होने वाले खर्च का वहन सफल बोलीदाता को करना होगा।
4. केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान–पत्र (जैसे–पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स आदि) होगा।
5. बोली किए जाने वाले सामान का निरिक्षण विज्ञापन प्रकाशित होने के एक सप्ताह तक किसी भी कार्यदिवस पर 02:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जा सकता है।
6. सबसे उच्च्य बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा सफल बोली दाता को पंद्रह दिन के अन्दर नीलामी का पूरा सामान उठाना होगा तथा वजन अनुसार सम्पूर्ण राशि साथ साथ विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी। सामान उठाने का खर्चा सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
7. यदि सर्वाधिक बोलीदाता निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की सामग्री का उठान नही करता तो उसकी अग्रिम धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी दुसरे सर्वाधिक बोलीदाता को दे दी जायेगी व बोली दाता को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
8. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
9. बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नही उतरता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
10. नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया/बताया जायेगा।
11. कुलसचिव को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
13. यदि किसी कारणवश नीलामी के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले दिन होगी।
14. बिना कारण बताए बोली रद्द करने का एकाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
15. सफल बोलीदाता को 100 रु का एक एफिडेविट विश्वविद्यालय में जमा करना होगा कि वह इन उत्तर पुस्तिकाओं को केवल रीसाइक्लिंग के लिए ही उपयोग करेगा।

कुलसचिव